

आवश्यक निर्देश

1. सभी श्रेणियों के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि जारी होने की तारीख (परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 14.06.2019) से 07 वर्ष तक होगी।
2. यह प्रमाण-पत्र किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती/नियुक्ति के लिए अधिकार नहीं देता है। यह केवल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी।
3. अभ्यर्थी की अर्हता व्यापम अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। उसका विवरण एवं चुने हुए विषय उसी प्रकार है जैसा कि उक्त परीक्षा के आवेदन पत्र / ओ. एम. आर. उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी द्वारा की गयी स्व-घोषणा अनुसार है। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी स्वयं इसका सत्यापन अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों से नियुक्ति के पूर्व आवश्यक रूप से करें।
4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 की सुसंगत धारा के अनुसार उल्लिखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी।

प्रति,